न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला– पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी– रवि विजय (आर.ए.एस.)
ना0मा0 अपील प्रकरण संख्या– 01/2018
दायरा तिथि–19/01/2018
निर्णय दिनांक– 29/07/2019

अपीलान्ट–

1– श्रीमति सुन्दरी पत्नि स्वर्गीय फकीरचंदजी, जाति– मेहतर, उम्र– 84 वर्ष, निवासी– बी 677, एनयु. 4, सपना नगर, गांधीधाम, तहसील– गांधीधाम, जिला– कच्छ (गुजरात)

2– मुन्नुलाल पुत्र स्वर्गीय फकीरचंदजी जाति– मेहतर उम्र– 54 वर्ष, निवासी– बी 677, एनयु. 4, सपना नगर, गांधीधाम, तहसील– गांधीधाम, जिला– कच्छ (गुजरात)

– बनाम –

रेस्पोडेण्टस्–

1– मृत हरिभजन पुत्र तुलसाराम के वारिसान–
- 1/1– अमृतलाल पुत्र हरीभजन, उम्र– 48 वर्ष,
- 1/2– सुरजमल पुत्र हरीभजन, उम्र– 46 वर्ष,
- 1/3– मृतक प्रेमकुमार पुत्र हरीभजन के कायम मुकाम वारिसान–
  - 1– मीनादेवी उम्र– 44 वर्ष,
  - 2– दीपु उम्र– 28 वर्ष,
  - 3– पूजा उम्र– 26 वर्ष,
  - 4– हंसराज उम्र– 24 वर्ष,
  - 5– पायल उम्र– 22 वर्ष,
  - 6– धीरज उम्र– 19 वर्ष, 7–दुर्गादेवी पुत्री हरीभजन, हरीजन हाल– देसूरी

2– श्रीमति कमला पुत्री तुलसारामजी पत्नि रतनलालजी उम्र– 70 वर्ष, जाति– मेहतर, निवासी ए 157, एन.यु. 10 बी, शक्तिनगर, गांधीधाम गुजरात,

3– श्रीमति शांति पुत्री तुलसारामजी पत्नि रतनलालजी, जाति– मेहतर, उम्र– 60 वर्ष, निवासी– मकान नम्बर 26, ब्लॉक नम्बर–1 सारंगपुर अहमदाबाद गुजरात,

4– छगनलाल पुत्र स्व. अणसी, जाति– मेहतर उम्र– 57 वर्ष, निवासी– देसूरी,

5– श्रीमति कैलाश पुत्री स्व. अणसी पत्नि बाबुलालजी जाति– मेहतर, उम्र– 42 वर्ष, निवासी– आदीपुर, गांधीधाम गुजरात,

6– हिम्मतमल पुत्र स्व. सुखीया, जाति मेहतर, उम्र– 42 वर्ष, निवासी– जगमाजीसा मंदिर के पीछे, सुमेरपुर, जिला– पाली,

7– राजु पुत्र स्व. सुखीया, जाति मेहत्तर, उम्र– 40 वर्ष, निवासी– सुमेरपुर, जिला– पाली,

8– कांतिलाल पुत्र स्व. सुखीया, जाति मेहत्तर, उम्र– 35 वर्ष, निवासी– सुमेरपुर, जिला– पाली,

9– सरपंच ग्राम पंचायत, देसूरी,

10– श्री दाती मदनलालजी राजस्थानी, जाति– वादी, निवासी– गुरूकुल आश्वासन बालग्राम आलावास, सोजत रोड, तह0 सोजत, जिला– पाली (राज0)

——क्रमशः पेज– 2 पर.....

अपील अन्तर्गत धारा– 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिय, विरूद्ध म्युटेशन संख्या– 1592 जो सरपंच ग्राम पंचायत, देसूरी ने दिनांक– 31/01/2009

उपस्थिति–

1–वकील श्री नारायणसिंह भाटी एवं वकील श्री कमलेश सेठीया अपीलान्ट की ओर से।

2–वकील श्री शंकरलाल मीणा रेस्पोडेन्ट सं0–10 की ओर से।

3–अन्य रेस्पोडेन्टस् के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– दिनांक–29/07/2019

संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि– अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस आधार पर पेश की है कि ग्राम देसूरी पटवार हल्का– देसूरी, भू–अभिलेख हल्का– देसूरी, तहसील– देसूरी जिला– पाली मे खसरा नम्बर– 708 रकबा– 0.41 हैक्टर भूमि किस्म बारानी दोयम एवं खसरा नम्बर– 845 रकबा– 0.38 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि स्थित है, जिस भूमि के खातेदार तुलसाराम पुत्र पन्नाजी जाति– हरिजन थे। तुलसाराम पुत्र पन्नाजी जाति– हरिजन का दिनांक– 04/12/1985 को स्वर्गवास हो चुका है। तुलसारामजी की मृत्यु दिनांक– 04/12/1985 के दिन तुलसारामजी के विधिक उत्तराधिकारीगण विधिक प्रतिनिधिगण पुत्र हरिभजन, पुत्री कमला, पुत्री शांति, पुत्री अणसी और पुत्री सुखीया एवं एक पवुत्र फकीरचंद और पत्नि जडियादेवी जीवित थे। तुलसारामजी के पुत्र फकीरचंदजी का भी दिनांक– 8–7–1997 को स्वर्गवास हो चुका है और अपीलार्थीगण फकीरचंद के पत्नि और पुत्र है। वर्तमान मे तुलसारामजी की पत्नि जडियादेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है तुलसारामजी की पुत्री अणसी का भी स्वर्गवास हो चुका है और उसके वारिसान के रूप मे रेस्पोडेण्ट छगनलाल और कैलाश जीवित है। तुलसारामजी की पुत्री सुखीया का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिनके वारिसान रेस्पोडेण्ट हिम्मतमल, राजु और कांतिलाल जीवित है। तुलसारामजी के स्वर्गवास पश्चात् उपरोक्त खसरा नम्बर– 708 एवं 845 का म्युटेशन उनकी पत्नि जडियादेवी एवं दोनो पुत्र हरिभजन और फकीरचंद और उनकी चारो पुत्रियो कमला, शांति, अणसी और सुख्या के नाम पारित किया जाना चाहिये था परन्तु तुलसारामजी के पुत्र फकीरचंदजी गांधीधाम में रहते थे इस कारण इस बात का फायदा उठाकर सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी और तुलसाराम के पुत्र हरिभजन और चारो पुत्रीयो कमला, शांति, अणसी और सुखीया ने आपस मे मिलावट कर सरपंच ग्राम पंचायत, देसूरी की जानकारी मे यह होते हुए कि तुलसारामजी के एक और पुत्र फकीरचंद जीवित है, उसके बावजूद खसरा नम्बर– 708 एवं खसरा नम्बर– 845 का म्युटेशन संख्या– 1592 तुलसारामजी के स्वर्गवास के पश्चात् केवल मात्र उनके पुत्र हरिभजन और उनकी चारो पुत्रीया कमला, शांति, अणसी और सुखीया के नाम दिनांक– 31/01/2009 को पारित कर दिया। उक्त म्युटेशन तथ्यो एवं विधि के विरूद्ध पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है क्यो कि तुलसारामजी की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिस के रूप मे फकीरचंद जो कि अपीलार्थी संख्या–1 के पति व अपीलार्थी संख्या–2 के पिता थे उनके नाम भी म्युटेशन पारित किया जाना चाहिये था जो नही पारित करने मे सरपंच ग्राम पंचायत, देसूरी ने तथ्यो एवं विधि की भूजल की है। म्युटेशन संख्या– 1592 गलत रूप से पारित होने से तुलसारामजी की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रेकर्ड मे केवल मात्र उनके एक पुत्र हरिभजन

——कमशः पेज– 3 पर........

और उनकी चार पुत्रीया कमला, शांति, अणसी और सुखीया का ही नाम दर्ज हुआ था परन्तु हरिभजन, कमलाल, शांति, अणसी और सुखीया को यह भलीभांति ज्ञात था कि तुलसारामजी के वारिस के रूप मे फकीरचंदजी भी जीवित है और उनका भी इस जद्दमीन में बराबर – बराबर हक हिस्सा अधिकार 1/6 हिस्सा बनता है और वह 1/6 हिस्से के हकदार है और यह तथ्य रेस्पोडेण्ट श्री दाती मदनलालजी राजस्थानी की जानकारी में भी थे और हरिभजन, कमला, शांति, अणसी और सुखीया को खसरा नम्बर– 708 के सम्पूर्ण खसरे को बेचाण करने का अधिकार नही था और रेस्पोडेण्ट श्री दाती मदनलालजी राजस्थानी को भी खसरा नम्बर– 708 सम्पूर्ण खरीदने का कोई अधिकार नही था उसके बावजूद हरिभजन, कमला, शांति, अणसी और सुखीया और रेस्पोडेण्ड दाती मदनलालजी राजस्थानी ने आपस मे मिलावट कर खसरा नम्बर– 708 रकबा– 0.41 हैक्टर भूमि किस्म बारानी दोयम सम्पूर्ण का बेचाणनामा रेस्पोडेण्ट श्री दाती मदनलालजी राजस्थानी ने अपने पक्ष मे निश्पादित करवा कर पंजीयन करवा लिया और उस बेचाण नामे के आधार पर तहसीदार (भू0अ0) देसूरी ने म्युटेान संख्या– 1732 दिनांक– 30/02/2009 को स्वीकृत कर दिया जिसे अलग से अपील के जरिये चुनौति श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, पाली मे दी जा रही है आदि आधारो पर अपीलाधीन म्युटेशन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस् को तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं0–1 की ओर से वकील श्री सुशील दवे ने वकालतनामा पेश किया रेस्पोडेंट संख्या– 3, 6, 7 व 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई रेस्पोडेण्ट संख्या–10 की ओर से वकील श्री शंकरलाल मीणा ने वकालतनामा पेश किया। वकुलाय उभय पक्षकार की बहस प्रार्थना–पत्र धारा–5 लिमिटेशन एक्ट पर सुनी गई एवं अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 लि0एक्ट स्वीकार किया जाकर विलम्ब माफ किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की गई। इस दरम्यान रेस्पोडेन्ट सं0–1 की मृत्यु होने से वकील अपीलान्ट द्वारा इनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने हेतू प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार किया जाकर मृत रेस्पोडेन्ट सं0–1 के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिये गये एवं वकील अपीलान्ट द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया जाकर रेकर्ड पर लिया गया। एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के कायम मुकाम की ओर से जबाब प्रस्तुत कर अपील के तथ्यो को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन को निरस्त फरमाया जावे तो उन्हे कोई उज्र एतराज नही होने एवं अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। जो शामिल मिसल किया जाकर रिकार्ड पर लिया गया। एवं रेस्पोडेन्टस संख्या– 7/7 पर सम्मन की तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश किया गया एवं पत्रावली बहस अंतिम हेतू रखी गई।

बहस उभय पक्षकारान के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मे दर्ज आधारो एवं तथ्यो को दोहराते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाने एवं नये सिरे से अपील मे वर्णित कृषि भूमि का मृत तुलसाराम पुत्र पन्नाजी जाति– हरिजन निवासी– देसूरी के तमाम विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या– 1 से लगाय–8 के नाम विरासत नामान्तरकरण दर्ज आदेश प्रदान किये जाने हेतू निवेदन किया। एवं वकील रेस्पोडेन्ट सं0–10 द्वारा अपनी बहस मे अपील के तमाम आधार गलत होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज करने का निवेदन

——कमशः पेज– 4 पर.....

किया गया।

वकुलाय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया, जिससे यह पाया जाता है कि– अपील मे वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा सरहद ग्राम– देसूरी मे स्थित खसरा नम्बर– 708 रकबा– 0.4100 हैक्टर खसरा नम्बर– 845 रकबा– 0.03800 हैक्टर कुल रकबा– 0.7900 हैक्टर का खातेदार तुलसाराम पुत्र पन्ना, जाति– हरिजन, निवासी– देसूरी था एवं अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण संख्या– 1592 दिनांक– 31/01/2009 मृतक तुलसाराम के उत्तराधिकारीगण हरीभजन पुत्र तुलसाराम, कमला, शान्ती, अणसी, सुखीया पुत्रिया तुलसाराम जाति– हरिजन सा0देह खातेदार के नाम दर्ज किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत, देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया है। मृतक तुलसाराम की मृत्यु के समय उनके पिछे उसके विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण हरिभजन पुत्र तुलसाराम, कमला, शांति, अणसी, सुखीया पुत्रियां तुलसाराम के अलावा मृत तुलसाराम का पुत्र फकीरचंद पुत्र तुलसाराम और जीवित था, जो तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखिय साक्ष्य मृत फीकरचंद के बैंक खाता, मृत्यु प्रमाण–पत्र , जाति प्रमाण–पत्र आदि की प्रतियों से साबित होते है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या– 1 मृत हरिभजन के कायम मुकामो द्वारा अपीलान्ट की अपील का जबाब प्रस्तुत कर अपील के तथ्यो को स्वीकार किया गया है, जिससे भी अपीलान्ट के तथ्यो को समर्थन मिलता है एवं रेस्पोडेन्टस् की तरफ से अपील के तथ्यो को खण्डन करने हेतू न तो अपील का जबाब ही प्रस्तुत किया एवं न ही कोई अभिलेखिय साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है, जिससे अपालान्ट के पति/पिता फकीरचंद मृत तुलसाराम का पुत्र विधिक उत्तराधिकारी होना साबित होता है एवं मृत फकीरचंद की मृत्युपरान्त उसके विधिक उत्तराधिकारीगण अपीलान्ट होना भी साबित होता है एवं विधि एवं नियमो के तहत मृतक तुलसाराम के तमाम उत्तराधिकारियो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 से लगाय– 8 के नाम से विरासत नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिए था। उपरोक्त विवेचन से मेरी विनम्र राय मे अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण दर्ज करने एवं स्वीकृत करने मे विधि, नियमो एवं तथ्यो की भूल हुई है, जिससे अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य मानता हूँ।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप मौजा सरहद ग्राम– देसूरी मे स्थित खसरा नम्बर– 708 रकबा– 0.4100 हैक्टर खसरा नम्बर– 845 रकबा– 0.03800 हैक्टर कुल रकबा– 0.7900 हैक्टर का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या– 1592 दिनांक– 31/01/2009 सरपंच ग्राम पंचायत, देसूरी द्वारा स्वीकृत सुदा को निरस्त किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

निर्णय आदेश आज दिनांक–29/07/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)